एम.सी.डी. के लोगों की करतूत कुछ इस प्रकार है:

1. जहाँ विकास कार्य करने की बात आती है कि मोहल्ले में नाली , सीवर , सड़क या फिर सफ़ाई की बात करने की तो एम. सी. डी. के लोग कहते हैं कि यह तो झुग्गी है यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नही आता परन्तु जैसे ही कोई व्यक्ति अपना मकान बनाने लगता है इस विभाग के लोग बिना समय गवाए उस जगह पर पहुँच कर धमका कर वसूली करते है जिससे लोग मजबूर और लाचार है आज सड़क पर उतरने के लिए।
2. शुरू में जब घर बन रहा होता है तब अगर एम सी डी को लोग संतुष्ट ना करें तो मकान बन जाने के बाद उस मकान का फोटों खीचकर ये लोग उस व्यक्ति को धमकाते है कि अगर अब भी नही माने और पैसा नही दिए तो तुम्हारा यह मकान तोड्वा दूंगा, फिर मजबूर होकर इनको पैसा देना पड़ता है।

स्लम विभाग / DUSIB के लोगों का करतूत इस प्रकार है:

1. इस विभाग के लोगों का भी चक्कर लगता है क्योंकि इस विभाग के लोगों को तो लाइसेंस मिला हुआ है झुग्गी झोपडी का विकास करने की इसलिए इनको भी चढ़ावा चढना चाहिए जबकि इस विभाग को भ्रस्टाचार करने के लिए प्रोत्साहन में इस विभाग का नाम "वर्ड रिकार्ड ऑफ़ गिनीज बुक" में दर्ज करवाना चाहिए जिसका जीता जागता उदाहरण है पंजाबी बस्ती में ९8 लाख का बोगस पेमेंट।

हमारी मुख्य मांगे

1. डी डी ए वेस्टर्न ज़ोन सुभाष नगर के गार्ड, तहसीलदार, नायब, पटवारी (जो लोग आनंद पर्वत थाना अन्तर्गत और पटेल नगर थानान्तर्गत आने वाला मोहल्ला आनन्द पर्वत, टाली वाली बस्ती, पंजाबी बस्ती, पंजाबी बस्ती बलजीत नगर, नेपाली मन्दिर, गुलशन चौक, नेहरु नगर, प्रेम नगर और बलजीत नगर के जिम्मेदार अधिकारी या गार्ड हैं) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनकी सम्पत्ति कि जांच सी.वी. आई. से करवाई जाय और जब तक जाँच पूरी न हो तब तक इनको छुट्टी पर भेजा जाय जिससे ये अधिकारी लोग जांच को प्रभावित न कर सकें।
2. डी.डी. ए. अपनी अब से खाली पड़ी जगह को अपने कब्जे में लेकर कम से कम उसको बचा ले।
3. जिस जगह पर लोग बस चुके हैं उनको डी. डी. ए. एम. सी. डी. दिल्ली पुलिस व स्लम (DUSIB) के लोगों द्वारा परेशान न किया जाय और ना ही उनके मकानों को तोड़ने कि धमकी दी जाय क्योंकि जो भी लोग उपरोक्त क्षेत्र में बसे है वे किसी तरह से गाँव का खेत धर्म पत्नी का गहना बेच कर मकानों को बनाकर रह रहे है अब अगर उनके मकानों को तोडा गया तो यह गलत होगा क्योंकि अगर उस जगह को तोड़ना ही था तो भ्रस्टाचार करके उनको बसाया ही क्यों गया।
4. डी.डी ए. के जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभाने में लापरवाही किये है उनको अबिलम्ब निलम्बित किया जाय क्योंकि अगर आज ये लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किये होते तो न किसी प्रकार का कब्ज़ा लोगों द्वारा करके गरीबो को बेचा गया होता और ना ही आज उन गरीबों को उनके घर टूटने का डर सताता।

Scanned by CamScanner

5. वेस्टर्न - ज़ोन सुभाष नगर में कार्यरत डी. डी. ए. के गार्ड, पटवारी, नायब तहसीलदार कानून - गो के साथ जो भी लोग जिम्मेदार हो उनको अबिलम्ब निलम्बित किया जाय।

6. अगर कोई व्यक्ति अपने मकान का मरम्मत कर रहा हो या उसी जगह को बना रहा हो तो उसको सरकारी विभागों द्वारा परेशान करके भ्रस्टाचार को बढ़ावा न दिया जाय।

7. किसी भी मोहल्ले का एक मकान तोडकर लोगों में दहशत फैला कर भ्रस्टाचार को बढ़ावा न दिया जाय अगर तोड़ना ही हो तो पूरा मोहल्ला तोडिये वह भी जिन - जिन का मकान है उनको विस्थापित करने के बाद क्योंकि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति को मकान देने की। जिसका पालन हर सरकारी एजेंसी अनुशासनात्मक तरीके से करें।

8. विस्थापन के बाद जिस मोहल्ले को तोड़ना हो वहां के लोगों को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाय।

9. डी. डी. ए. सबसे पहले अपनी जगह को चिन्हित करें कि उसकी जगह कहाँ तक है क्योंकि उपरोक्त क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जगह है जो डी. डी. ए. के अधिकार क्षेत्र में नही है जिसके लिए डी डी ए का मुकदमा भी चल रहा है।

10. दिल्ली पुलिस के लोग किसी के मकान के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बजाय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने में अपना सहयोग करें।

11. दिल्ली की तीनों इमानदार सरकारों (एम.सी.डी., दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार) के नेत्रित्व कर्ताओं से हम सबका विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से आप लोग अपने आपको ईमानदार घोषित करने की होड़ में लगे हुए उसको धरातल पर दिखाते हुए अपने अपने सरकारी विभागों में फैले भ्रस्टाचार पर अंकुश लगाने की कृपा करें क्योंकि आज के दौर में बिना रिश्वत के किसी भी विभाग में कोई काम नही हो रहा है।

हम उम्मीद करते है कि आप द्वारा हमारी सब मांगे मानी जाएगी और बिना विस्थापित किये उपरोक्त मोहल्ला (प्रेम नगर, नेहरु नगर और पंजाबी बस्ती बलजीत नगर) में कोई तोड़ फोड़ नही की जाएगी और भ्रस्टाचार रिश्वत खोरी पर अबिलम्ब अंकुश लगाया जाएगा।

धन्यवाद

भवदीय

दिलीप कुमार

एस. के. चौबे   पवन कुमार पाण्डेय   दिलीप कुमार गुप्ता

पता : स्वराज इंडिया कार्यालय, प्रेम नगर रेलवे फाटक, प्रेम नगर, पटेल नगर नई दिल्ली - 110008

सम्पर्क सूत्र : 8800909190, 8860464550, 9213949625

Scanned by CamScanner